

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III) ब³ -13 /2016-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 /रा. पो. पटना-7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, अस्थावां, डिहरी-ऑन-सोन, शिवहर, मधुबनी, मोतिहारी, राघोपुर, जमुई, बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी, समस्तीपुर, शेखपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, किशनगंज, बक्सर, ब. खान इ. ऑफ पो. सीतामढ़ी, ब्र.कि.ना.पो. गोपालगंज/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट 'मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 105- बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0001- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम' (विपत्र कोड 43-2203001050001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटनादेश संख्या-3(आ), दिनांक 24.5.2017, संख्या-28(आ), दिनांक 08.08.2017 एवं संख्या- 39(आ), दिनांक 08.09.2017 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन तथा अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 /रा. पो. पटना-7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, अस्थावां, डिहरी-ऑन-सोन, शिवहर, मधुबनी, मोतिहारी, राघोपुर, जमुई, बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी, समस्तीपुर, शेखपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, किशनगंज, बक्सर, ब. खान इ. ऑफ पो. सीतामढ़ी, ब्र.कि.ना.पो., गोपालगंज/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर को कुल रु. 3,04,95,000=00 (तीन करोड़ चार लाख पंचानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

- संबंधित संस्थान अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 428, दिनांक 31.03.2017 एवं पत्रांक-942, दिनांक 01.09.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।
- उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।
- संबंधित संस्थानों में प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पदों के विरुद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।
- संबंधित संस्थानों में शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।
- संबंधित संस्थानों में रिक्त पदों पर संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि व्याख्याता तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों/प्रयोगशाला सहायकों को उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यान/प्रायोगिक/सांख्यिक के लिए विभागीय संकल्प

संख्या-707, दिनांक 23.3.2017 द्वारा निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

8. विभागीय आदेश संख्या-1790, दिनांक 26.07.2017 के आलोक में राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि व्यख्याता तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों को उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यानों/प्रायोगिक/सात्रिक के लिए विभागीय संकल्प संख्या-707, दिनांक 23.3.2017 द्वारा निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

9. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

10. यदि किसी विषयशीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ वांछित राशि की मांग हेतु अनुरोध किया जाय।

11. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

12. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक-280/वि०, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

13. व्यय विवरणी टी० भी० नं० एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन
ह०/ -

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ -
निदेशक

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, पटना/गुलजारबाग, पटना/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/बेगुसराय/पूर्णिया/सहरसा/भागलपुर/गया/टेकारी/छपरा/गोपालगंज/कटिहार/लखीसराय/वैशाली/बिहारशरीफ/डिहरी-ऑन-सोन/पुपरी/सीतामढ़ी/शिवहर/झंझारपुर/मोतिहारी/सुपौल/जमुई/बांका/कैमुर/मधेपुरा/दलसिंहसराय/शेखपुरा/मुंगेर/किशनगंज/बकसर/सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ -
निदेशक


ज्ञापक - वि.प्रा.(III) ब³ -13/2016-

41(मि) /पटना, दिनांक- 14-9-01)

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग (लि.) कं., विद्युत भवन, बेली रोड, पटना /
उप निदेशक (यो.) / आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त
प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु-यथा वर्णित

1(एक) पृष्ठ में।


13.09.17
निदेशक
72/9

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 105-बहुशिल्प (पोलिटिकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0001- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटिकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटिकनिक संस्थानों को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विषयशीर्षों में 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु अतिरिक्त आवंटन की विवरणी:-

विपत्र कोड 43-2203001050001

(राशि रुपये में)

विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	भद का नाम	न. रा. पं. पटना-13	रा. पं. पटना-7	रा. पं. मुजफ्फरपुर	रा. पं. दरभंगा	रा. पं. बरौनी	रा. पं. पूर्णिया	रा. पं. साहरसा	रा. पं. भागलपुर	रा. पं. गया	रा. पं. छपरा	रा. पं. गोपालगंज	रा. पं. कटिहार	रा. पं. लखीसराय	रा. पं. वैशाली	रा. पं. अस्थावै	रा. पं. झिहरी-ऑन जॉन	रा. पं. सीतामढ़ी	रा. पं. शिवहर	रा. पं. मधुबनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01-वेतन	01	वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	जीवन यापन भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	मकान किराया भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	परिवहन भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग-01-वेतन			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542000	0	0	0	0	0	0	0
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-कार्यालयी व्यय	04	विद्युत प्रसार	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
28-व्यावसायिक सेवाएं	02	संविदा सेवाएं	800000	700000	900000	800000	700000	800000	600000	850000	850000	900000	750000	700000	700000	900000	600000	750000	600000	900000	700000
कुल योग			800000	725000	1000000	800000	700000	800000	600000	850000	850000	900000	1292000	1100000	700000	900000	600000	750000	600000	900000	700000

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (थ) (द) (ध) (न) (य) (र) (ल) (व)

विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	भद का नाम	रा. पं. मोतिहारी	रा. पं. पटना	रा. पं. मुजफ्फरपुर	रा. पं. राघोपुर (सुरौल)	रा. पं. जमुई	रा. पं. बांका	रा. पं. कैमूर	रा. पं. मधेपुरा	रा. पं. टेकारी (गया)	रा. पं. कान्चनारामपुर	रा. पं. शेखपुरा	रा. पं. मुनेर	रा. पं. गोपालगंज	रा. पं. सीतामढ़ी	रा. पं. किशनगंज	रा. पं. बक्सर	आवंटित कुल राशि	
1	2	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40	
01-वेतन	01	वेतन	0	915000	0	0	0	0	0	0	750000	500000	0	0	200000	0	0	0	2565000	
	03	जीवन यापन भत्ता	0	550000	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	320000	0	0	0	1790000	
	04	मकान किराया भत्ता	0	80000	0	0	0	0	0	0	20000	45000	0	0	23000	0	0	0	190000	
	05	परिवहन भत्ता	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	
	योग-01-वेतन			0	1570000	0	0	0	0	0	0	1370000	545000	0	0	543000	0	0	0	4570000
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	
13-कार्यालयी व्यय	04	विद्युत प्रसार	0	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	
28-व्यावसायिक सेवाएं	02	संविदा सेवाएं	850000	800000	850000	550000	700000	750000	600000	550000	700000	650000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	24600000	
कुल योग			850000	2670000	1150000	550000	700000	750000	600000	550000	2070000	1195000	500000	500000	1143000	700000	500000	500000	500000	30495000

(पा) (प) (फ) (म) (म) (कक) (खख) (गग) (घघ) (ङङ) (चच) (छछ) (जज) (झझ) (तत) (थथ) (दद)

(क) आठ लाख रुपये मात्र।

(च) आठ लाख रुपये मात्र।

(त) बारह लाख बानवें हजार रुपये मात्र।

(थ) सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(म) छब्बीस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र।

(खख) छः लाख रुपये मात्र।

(छछ) पांच लाख रुपये मात्र।

(दद) तीन करोड़ चार लाख पंचानवे हजार रुपये मात्र।

(ख) सात लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र।

(छ) छः लाख रुपये मात्र।

(थ) ग्यारह लाख रुपये मात्र।

(र) छः लाख रुपये मात्र।

(फ) ग्यारह लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(गग) पांच लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(जज) ग्यारह लाख तैतालीस हजार रुपये मात्र।

(ग) दस लाख रुपये मात्र।

(ज)-आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(द) सात लाख रुपये मात्र।

(ल) नौ लाख रुपये मात्र।

(म) पांच लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(घघ) बीस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र।

(झझ) सात लाख रुपये मात्र।

(घ) आठ लाख रुपये मात्र।

(झ) आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(ध) नौ लाख रुपये मात्र।

(व) सात लाख रुपये मात्र।

(म) सात लाख रुपये मात्र।

(ङङ) ग्यारह लाख पंचानवे हजार रुपये मात्र।

(तत) पांच लाख रुपये मात्र।

(ङ) सात लाख रुपये मात्र।

(ज) नौ लाख रुपये मात्र।

(न) छः लाख रुपये मात्र।

(प) आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(कक) सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(चच) पांच लाख रुपये मात्र।

(थथ) पांच लाख रुपये मात्र।

निदेशक
2/2/19